

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 03/प्रो.-05-03/2014...../रॉची, दिनांक :/

-: आदेश :-

वित्त विभाग की संकल्प संख्या-5207/वि० दिनांक 14.08.2002 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 23.04.2018 को विभागीय स्क्रीनिंग समिति की सम्पन्न बैठक में प्राप्त अनुशंसा के आलोक में निम्न सारणी के स्तम्भ-02 में अंकित कनीय अभियंताओं को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के तहत स्तम्भ-04 एवं स्तम्भ-05 में वर्णित तिथि से प्रथम एवं द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ क्रमशः वेतनमान् रु. 6500-10,500 एवं रु. 10,000-15,200 में स्वीकृत किया जाता है :-

क्रमांक	कनीय अभियंता का नाम/ पदस्थापन स्थान/गृह जिला/ जन्म तिथि/ आई.डी. कोड	नियुक्ति की तिथि	ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत प्रथम वित्तीय उन्नयन की देय तिथि (वेतनमान् 6500-10500)	ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत द्वितीय वित्तीय उन्नयन की देय तिथि (वेतनमान् 10000-15200)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री महेन्द्र प्रसाद मण्डल/ आयोजन गुण नि० एवं मो० प्रमण्डल, देवघर/भागलपुर/ 01.01.1952/ जे०-6384	31.01.79	09.08.99	31.01.03	
2	श्री कृष्णा कुमार/सिंचाई प्रमण्डल, बरहरवा /गया/01.07.1953/ जे० 6424	03.02.79	09.08.99	03.02.03	
3	श्री हरि किशोर तिवारी, यांत्रिक प्रमंडल, ईचा चालियामा/ गोपालगंज/16.07.46	21.02.79	09.08.99	21.02.03	
4	श्री विनय कुमार मोदी/ सुवर्णरेखा नहर प्रमंडल, गांगुडीह, जमशेदपुर/दुमका/24.01.1954/ जे०-5477	05.02.79	09.08.99	05.02.03	
5	स्व० कौशल किशोर नारायण/ लघु वितरणी प्रमंडल सं०-03, मानगो, जमशेदपुर/गया / 15.12.54/जे०-5238	06.02.79	09.08.99	06.02.03	
6	श्री लखन देव मिश्र/ लघु वितरणी प्र०सं०-09, घाटशिला/भोजपुर/जे०-4810/ 11.09.1950	08.02.79	-	08.02.08	" 5 वर्ष प्रोन्नति पर रोक " दण्ड के कारण देय तिथि SHIFT
7	श्री बिहारी लाल/जल पथ प्रमंडल, गढ़वा/भोजपुर/ 28.06.52/ जे०-8240	14.11.73 (सर्वेयर) 31.03.88 (कनीय अभियंता)	31.03.2000	-	
8	श्री योगेश कुमार तिवारी/ जलपथ प्रमंडल, हजारीबाग/ बलिया/01.07.55/जे०5256 ए	09.02.79	-	09.02.03	

- (ख) यह योजना दिनांक 09.08.99 से प्रभावी है किन्तु इसके अंतर्गत वित्तीय लाभ दिनांक 15.11.2000 से देय होगा।
- (ग) वित्तीय उन्नयन के तहत देय वित्तीय लाभ, उन्नयन के फलस्वरूप निर्धारित वेतन का वित्त विभाग से सत्यापनोपरांत ही देय होगा।
- (घ) उपर्युक्त स्वीकृत वित्तीय उन्नयन में अगर कोई त्रुटि पायी जाती है अथवा मंत्रिमंडल निगरानी या किसी अन्य स्रोत से निगरानी स्वच्छता प्रतिवेदन प्रतिकूल प्राप्त होता है तो स्वीकृत लाभ को रद्द/संशोधित कर भुगतान की गई राशि की एक मुश्त वसूली कर ली जायेगी और इसके विरुद्ध किसी प्रकार का दावा सरकार या न्यायालय में विचारणीय नहीं होगा।
- (ङ) प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

ह./-

(मनोज कुमार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :-

रॉची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-

(मनोज कुमार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :-

रॉची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- संबंधित कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-

(मनोज कुमार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :-

रॉची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/अभियंता प्रमुख-01 एवं 02, जल संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव/संबंधित सभी मुख्य अभियंता/संबंधित सभी अधीक्षण अभियंता/अवर सचिव(प्रबंधन)/उप सचिव(प्रबंधन)/संबंधित सभी कार्यपालक अभियंता/प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, रॉची/प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड रॉची/मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, रॉची/संबंधित सभी कनीय अभियंता/प्रशाखा-02 एवं 08/वेब इन्फोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/बायोडाटा कोषांग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/7/18

(मनोज कुमार)

सरकार के अवर सचिव